

खबर संक्षेप

आत्मानंद में कला संकाय की पढ़ाई शुरु हो

बैकुण्ठपुर | जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर में संचालित शासकीय स्वामी आत्मानंद इंजिनियर्स मीडियम स्कूल बैकुण्ठपुर में कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में आगामी शिक्षा सत्र से कला संकाय की पढ़ाई शुरू करने की मांग को लेकर खुटहनपारा निवासी अनिल सिंह ने कलेक्टर सहित जिला शिक्षा अधिकारी, बीईओ बैकुण्ठपुर, विद्यालय के प्राचार्य के नाम आवेदन पत्र देकर मांग किया। अपने आवेदन में अनिल सिंह ने उल्लेख किया है कि उक्त विद्यालय में वर्तमान में गणित एवं जीव विज्ञान की पढ़ाई चल रही है, लेकिन कई छात्रों की रुचि कला विषय की लेकर है, लेकिन विद्यालय में कला संकाय विषय की पढ़ाई नहीं होने के कारण इस विषय के इच्छुक विद्यार्थी दूसरे स्कूलों में पढ़ाई करने को मजबूर है। उन्होंने मांग की है कि आगामी सत्र में इस विद्यालय में कला संकाय शुरू करने की पहल की जाए।

वार्ड पार्श्व ने सीएमओ को सौंपा ज्ञापन

बैकुण्ठपुर। नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के वार्ड क्रमांक 20 के पार्श्व संजय जायसवाल ने नपा अध्यक्ष श्रीमती नविता शिवदरे एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी बैकुण्ठपुर को पत्र लिखकर मांग किया है कि सामान्य सभा की बैठक सूचना में प्रस्ताव क्रमांक 1 से 12 तक के विषय में विचार एवं निर्णय से पहले नपा में हुए लखौ रूपए के राशि का भुगतान से छति धूमिल हुई है। इस मामले में परिषद द्वारा संकल्प पारित कर जांच के आदेश दिए जाने, जल आपूर्ति के लिए राज्य शासन द्वारा 34 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की गई, जिसमें करीब 23 करोड़ का कार्य करवा जा चुका है और संबंधित ठेकेदार को भुगतान किए जाने की सूचना है। परिषद की बैठक का वीडियो रिकार्डिंग या मीडिया प्रतियोगियों की उपस्थिति की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की गई।

सरगुजा मार्केट

आप परेशान क्यों हैं ?

वारसी शिफा

स्वामी रुद्राजी जड़ी-बूटी द्वारा इलाज

उमर खाता कच्चा नहीं करती तो आज भी निमित्त हस्तमुद्रक

जमाना वारसी शिफा के साक्ष्यकारों से अपने वारिस से 35 वर्षों का अनुभव प्राप्त कर कई सत्रों से सेवा देते आ रहे हैं अनेक वे औषधों को औलान प्राप्त हुई किसी भी सबा का बुरा अनुभव नुन-अन, पति-पत्नी के झगड़े, मोहब्बत, दिमागी परेशानी, कारोबार में सफल के लिए, मन में दुश्मन, नामदेगी, सन्तानी एवं जड़ी-बूटी द्वारा

❖ बीमारियों से झुटकार पाने के लिए मिलिए ❖

❖ मित्रों का सपर-❖

- ❖ श्मश्रुति अंश-मृत में इलाज
- ❖ गर्भपति का सुनिश्चित करना
- ❖ किन अंगरेजों, किन साइड करके
- ❖ नुन और किमियाबी सेवा

पता - वारसी निमित्त, मन्नाबाबा पर्वत द्वार, खडैर अरुण सजीव पर्वत वारसी नगर रिंग रोड अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

मो. 9753266386

समय- शाम 5 बजे तक

गुप्त रोग

का 100% शक्ति इंलाज

गुप्त रोग, नामदी, मृसकता, शीपपन, रगनदोष, धातु गिरना, जलन, छोटपन, देहपान, सफिलस मनीरिया सभी प्रकार के गुप्त रोगों की आयुर्वेदिक दवा द्वारा शक्ति इंलाज किया जाता है।

लिंग वर्धक यंत्र भी उपलब्ध

बिना आपरेशन के

अण्डकोष, बवासीर, भगंदर

का गायत्री के साथ आयुर्वेदिक दवा द्वारा इंलाज

25 साल से स्थायी

संपर्क - विश्वास औषधालय

बिलासपुर रोड, लक्ष्मीपुर शास.स्कूल के पास

अम्बिकापुर - मोबा. 7898942870

समय - सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक

TOP IN SURGUJA

PUSHPENDRA COLLEGE OF PHARMACY AMBIKAPUR

ADMISSION OPEN LIMITED SEAT

ACADEMIC SESSION 2026-27

COURSES

- D.Pharmacy 2 years** (science & math +PPHT)
- B.Pharmacy 4 years** (science & math +PPHT)
- D.Pharmacy 3 years** (Lateral Entry D.Pharmacy)

फार्मसी में अपना भविष्य उज्ज्वल बनाने की कोशिश करें

पंजीयन (Registration)

- मेरिट लिस्ट जारी
- दावा आपत्ति
- आवंटन/रिजल्ट
- प्रवेश

01 सितंबर से 05 सितंबर तक

- 06 सितंबर 2026
- 07 सितंबर 2026
- 08 सितंबर 2026
- 09 सितंबर 2026 से 11 सितंबर 2026 तक

Add: Lalmati Lundra, Ambikapur Dist- Surajpur (C.G.)

9407634704, 7509172393

गायत्री हॉस्पिटल

MULTISPECIALITY HOSPITAL

बनारस रोड, पी.जी. कॉलेज मैदान के सामने, अम्बिकापुर (छ.ग.)

19424250281 | 8120906000 | 8120890000 |

अब महिलाओं की हर समस्या का सम्पूर्ण समाधान !

स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ की सम्पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध

DR. SONAL DUBEY MBBS, MS (OBSTETRICS & GYNAECOLGY LAPAROSCOPIC SURGION)

समय :-

सुबह 11:00 बजे से शाम 05 बजे तक

INSTITUTE OF PHARMACY RESEARCH CENTRE

ADMISSION OPEN LIMITED SEAT

ACADEMIC SESSION 2026-27

COURSES

- D.Pharmacy 2 years** (science & math +PPHT)
- B.Pharmacy 4 years** (science & math +PPHT)
- D.Pharmacy 3 years** (Lateral Entry D.Pharmacy)

फार्मसी में अपना भविष्य उज्ज्वल बनाने की कोशिश करें

पंजीयन (Registration)

- मेरिट लिस्ट जारी
- दावा आपत्ति
- आवंटन/रिजल्ट
- प्रवेश

01 सितंबर से 05 सितंबर तक

- 06 सितंबर 2026
- 07 सितंबर 2026
- 08 सितंबर 2026
- 09 सितंबर 2026 से 11 सितंबर 2026 तक

Add: Krishnapur Kalua Bharuhamunda Road, Dist- Surajpur (C.G.)

9165265258, 8889110739, 9244175446

दूर-दराज के गाहक भटके, गाहक सेवा केन्द्रों में लगी रही भीड़

हरिभूमि न्यूज ►► बैकुण्ठपुर

अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर बैंक अधिकारी कर्मचारियों द्वारा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन के आह्वान पर 11 सितंबर को कोरिया जिला मुख्यालय में संचालित दर्जनों बैंक की शाखाएं पूरी तरह से बंद रहीं। इसकी पूर्व जानकारी बैंक उपभोक्ताओं को नहीं होने से वे परेशान रहे, वहीं एक दिवसीय बैंक कर्मियों के हड़ताल के कारण करोड़ों रुपए का लेन-देन प्रभावित हुआ।

प्राप्त के जानकारी के अनुसार विभिन्न बैंक के अधिकारी-कर्मचारी अपने संगठन के आह्वान पर पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने और परफार्मेंस लिंकड ईसैटिव में विसंगति के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन के आह्वान पर 11 सितंबर को एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। इसके चलते विभिन्न बैंकों में नगद लेन-देन, चेक क्लीयरेंस सहित अन्य बैंकिंग काम काज प्रभावित रहा। वहीं डिजिटल बैंकिंग एवं ग्राहक केन्द्रों सेवाओं के चालू रहने से थोड़ी राहत नहीं। वहीं अधिकांश बैंक उपभोक्ताओं को एक दिवसीय बैंकिंग कर्मियों के हड़ताल के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार मांगों पर विचार नहीं किए जाने और निराकरण नहीं होने पर आगामी 28 सितंबर से

गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां शुरु

सोनहत। खंड मुख्यालय सहित विभिन्न ग्रामों, मोहल्लों एवं पारा-टोला में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारियां शुरु हो गई हैं। गणेश उत्सव को लेकर आयोजन समितियों द्वारा पूजन स्थलों की साफ-सफाई, पंडाल निर्माण सहित अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का काम शुरु कर दिया गया है।

बैंक कर्मियों की हड़ताल करोड़ों का लेनदेन प्रभावित



तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित है, इसके बाद भी मांगों का निराकरण नहीं किए जाने पर आगामी माह 26 अक्टूबर से विभिन्न बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन पर चले जाने की चेतावनी दी है।

एटीएम भी हो सकती है खाली

अभी त्योंहारी सीजन है और विभिन्न बैंकों के तीन दिन लगातार बंद रहने से कई बैंकों के एटीएम खाली हो सकते हैं। इससे लोगों को नकदी के लिए परेशानी हो सकती है। त्योंहारी सीजन में खरीदी के लिए एटीएम से कैश च्यांद निकाल रहे हैं, ऐसे में कई एटीएम के खाली होने की संभावना है।

बिथुनपुर में खिलाड़ियों और मेधावी विद्यार्थियों का बढ़ाया हौसला

बैकुण्ठपुर। जिले के ग्राम पंचायत बिथुनपुर स्थित कृष्ण पूजा पंडाल में बिथुनपुर पंचायत सदस्य एवं सभापति श्रीमती धर्मवती राजवाड़े के सौजन्य से जनपद क्षेत्र स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में क्षेत्र की विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक भईयालाल राजवाड़े रहे।

जिला पंचायत सदस्य श्रीमती गीता राजवाड़े एवं सौभाग्यवती सिंह, अंचल राजवाड़े तथा पूर्व जिला अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की सभापति जनपद पंचायत सदस्य एवं सभापति श्रीमती धर्मवती राजवाड़े ने की। सम्मान समारोह में राज्य

उन्नयन कार्यों के लिए 8.58 करोड़ स्वीकृत

बैकुण्ठपुर। सिंवाई सुविधाओं के विस्तार एवं जल संसाधन अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न सिंवाई योजनाओं के उन्नयन कार्यों के लिए 8 करोड़ 58 लाख 8 हजार रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे किसानों को सिंवाई सुविधा का लाभ मिलेगा। सलबा जलाशय में बांध एवं नहर उन्नयन कार्य के लिए 2 करोड़ 19 लाख 97 हजार रूपए स्वीकृत किए गए हैं। कार्य पूर्ण होने के पश्चात 59 हेक्टर क्षेत्र में सिंवाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसी प्रकार चम्पाहर जलाशय में नहर उन्नयन कार्य के लिए 1 करोड़ 95 लाख 99 हजार रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्य के पूर्ण होने से 61 हेक्टर क्षेत्र में सिंवाई सुविधा का विस्तार होगा। वहीं मुस्ता जलाशय में बांध एवं नहर उन्नयन कार्य के लिए 4 करोड़ 42 लाख 12 हजार रूपए स्वीकृत किए गए हैं। इस कार्य से भी जल संसाधन अधोसंरचना को बेहतर बनाने तथा संबंधित क्षेत्र में सिंवाई सुविधा को कृषि कार्य के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध करने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं।

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित कार्यक्रम में शामिल होंगी झगराखंड की शिक्षिका

मनेन्द्रगढ़। केन्द्रीय विद्यालय एसईसीएल झगराखंड की कंप्यूटर साइंस शिक्षिका इशिता पांडे ने शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में उन्हें शिव नादर फाउंडेशन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइट बिजनेस स्कूल से जुड़े प्रतिष्ठित इंडियाज बेस्ट टीचर्स अवॉर्ड्स 2026 में सरकारी स्कूल श्रेणी में कंप्यूटर साइंस विषय की राष्ट्रीय विजेता चुना गया है। राष्ट्रीय फाइनल का आयोजन शिव नादर विश्वविद्यालय नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत इशिता पांडे को यूनिर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साइट बिजनेस स्कूल में एक सप्ताह के विशेष शैक्षणिक एवं नेतृत्व कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। इसके अलावा वे पांच सप्ताह के ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट कार्यक्रम का भी हिस्सा बनेंगी। राष्ट्रीय फाइनल के दौरान इशिता पांडे के नवाचार की अंतरराष्ट्रीय जूरी ने विशेष सराहना की। जूरी सदस्य डॉ. क्रिस्टीना यान झांग और कैरी लोमास ने उनके कार्य को उल्लेखनीय बताया।

तीन चोरियों का खुलासा, 5 गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ►► मनेन्द्रगढ़

शहर में लगातार हो रही चोरी की वारदातों ने जहां लोगों की चिंता बढ़ा दी थी, वहीं कोतवाली पुलिस ने अब

चोरों पर शिकंजा कसते हुए तीन अलग-अलग चोरी के मामलों का खुलासा किया है। पुलिस ने 5 चोरियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया है। बरामद सामान की प्रार्थियों से पहचान कराई गई, जिसमें उन्होंने अपना चोरी गया सामान पहचान लिया। पिछले दिनों शहर में चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी की शिकायतें पुलिस को मिली थीं। इसके बाद थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 206/26, 208/26 और 209/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रंज दौपक झा एवं पुलिस अधीक्षक एमसीबी श्रीमती रत्ना सिंह ने विशेष अभियान चलाकर चोरी के मामलों का शीघ्र खुलासा करने तथा क्षेत्र में पेट्रोलिंग और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक



विवेक पाटले के नेतृत्व में चार पुलिस टीमों का गठन किया गया।

पहले मामले में रेलवे कॉलोनी निवासी गुरुदत्ता के गैराज से कॉपर वायर चोरी किया गया था। पुलिस ने आरोपी राकेश यादव पिता श्यामलाल उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 10 कॉपर वायर तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की। बरामदगी की कुल अनुमानित कीमत करीब 50 हजार रूपए बताई गई है। दूसरे मामले में वाई क्रमांक 9 पेंडा दफाई निवासी हुरैन के गोदाम से करीब दो विंटेल् लोहे की छड़ एवं कटर मशीन चोरी हुई थी। पुलिस ने अरमान अंसारी पिता हामिद उम्र 22 वर्ष निवासी मोहारपारा वाई क्रमांक 5 तथा सुमित सिंह पिता बलराम निवासी मोहारपारा को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से

करीब दो विंटेल् लोहे की छड़, जिसकी कीमत लगभग 20 हजार रूपए है, बरामद की गई। तीसरे मामले में चनवारीडांड निवासी हर्षित जैन के एचआर इंस्टीट्यूट कैमैस से बड़ा मोटर पंप चोरी हुआ था। पुलिस ने सुभाष कुमार पिता विजय कुमार निवासी गदवदी बैकुण्ठपुर तथा ऋषि कुमार पिता ज्ञानचंद उम्र 19 वर्ष निवासी पेंडा, हाल मुकाम खेडिया तिराहा को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से करीब 14 हजार रूपए कीमत का मोटर पंप बरामद किया गया। तीनों मामलों में चोरी का सामान बरामद होने के बाद पुलिस ने संबंधित प्रार्थियों से पहचान कारवाई कराई। प्रार्थियों ने बरामद सामान को अपना चोरी गया सामान बताया। इसके बाद पुलिस ने पांचों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

रा.प्र.क्र. /38-6/2025-26

ईशतहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक जलालुद्दीन अंसारी आ.स्व.नवी रसूल, जाति जुलहा, निवासी ग्राम रनपुरखुर्द, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. द्वारा ग्राम रनपुरखुर्द स्थित गृहि खसरा नंबर 1/11 रकबा 0.405 है, गृहि के राजस्व अभिलेखों में वर्तमान मृत खातेदार स्व.नबी रसूल आ.स्व. रहीम का नाम विलोपित करते हुए उनके विधिक वादियों के नाम पर ज़रती दर्ज कराने बाव आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 25/09/2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति को कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 11/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2

//न्यायालय कार्यपालक दण्डाधिकारी सीतापुर जिला-सरगुजा छ.ग.।

राजस्व प्रकरण क्रमांक/ब-121/2025-26

ईशतहार (उद्घोषणा) /आम सूचना

सर्व साधारण आम जनता ग्राम बगलया को सूचित किया जाता है कि आवेदक अशोक आशा भगत आ.सम.साय भगत जाति उरांव निवासी ग्राम बगलया तहसील सीतापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि आवेदक स्वयं का जन्म दिनांक 28/09/1972 को ग्राम बगलया में होने के फलस्वरूप जन्म-मृत्यु पंजी में दर्ज नहीं करा जाने के कारण जन्म प्रमाण पत्र अचरख नहीं हो पा रहा है। आवेदक को जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ रहा है। जिसके लिये जन्म प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र धाय पत्र, चलान की प्रति एवं कार्यालय जिला रोजगार एवं सार्वजनिक अधिकारी एवं जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) जिला सरगुजा (छ.ग.) प्रमाण पत्र अंकुशरी की छाया प्रति आवेदन पत्र सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं अथवा अपने अधिभाषक के माध्यम से नियत दिनांक 18/09/2026 तक आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है निमित्त लिखित उपर्युक्त पत्र होने वाले दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 21/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय पदमुद्रा से जारी।

कार्यपालक दण्डाधिकारी सीतापुर

PUBLIC NOTICE (GENERAL INFORMATION)

It is hereby informed to the general public that my client, Shri Adarsh Tiwari, S/o Shri Ashok Tiwari, Caste- Brahmin, R/o front of Kanha Kirana, Godhanpur, Police Station - Gandhinagar, Tehsil - Ambikapur, District - Surguja (C.G.), is the sole owner of the land situated at Village-Jhumarpura, P.H.No. 27, RNM - Ambikapur-1, Tehsil - Ambikapur, District - Surguja (C.G.), bearing Kharsa Numbers 296, 297, 298, 299/1, and 379, with respective areas of 0.020, 0.004, 0.081, 0.012, and 0.020 hectares. The total number of plots is 05, with a total area of 0.137 hectares.

This land was purchased by my client, Shri Adarsh Tiwari, S/o Shri Ashok Tiwari, from the seller, Smt. Nisha Poptani, W/o Shri Hirral Poptani, R/o Sindi Colony, Ambikapur, Police Station & Tehsil Ambikapur, District Surguja (C.G.), through a registered sale deed dated 27.08.2019. The name of Shri Adarsh Tiwari is recorded in the revenue records. The previous original registered sale deed of the said land was executed in the year 2008 in the name of Suresh Kumar Agrawal. The seller, Smt. Nisha Poptani, W/o Shri Hirral Poptani, had handed over the previous original executed registered sale deed to my client on date 27.08.2019.

However, on date 16.07.2026, while my client was traveling on a motorcycle from his residence in Godhanpur to the Collectorate Office, carrying the said previously executed original registered sale deed in a carry bag, the deed fell somewhere along the way and was lost. Despite extensive search efforts, my client has not been able to find it.

Consequently, information regarding the loss of the original copy of the said registration has been reported to the Police Station, Gandhinagar, on date 03.09.2026.

If any person finds the original copy of the said registered sale deed, please inform me at the address or mobile number mentioned below. Furthermore, if any person has any claim regarding the said original sale deed, they may inform me.

Gulsher Khan (Advocate)

Office/Residence: Near Samlaya Temple, Momnupura, Ambikapur, District Surguja (C.G.) Mobile No.-9425265655

ईशतहार (आम सूचना)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री आदर्श तिवाड़ी, श्री अशोक तिवाड़ी जाति ब्राह्मण, निवासी कान्ह किराना के सामने, गोधनपुर थाना-गांधीनगर तहसील-अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.) के स्वामित्व की गृहि स्थित ग्राम-जुमरपुरा, प.ह.नं. 27, रा.नि.नं. अम्बिकापुर-1, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ.ग. जूरी गृहि खसरा नंबर 296, 297, 298, 299/1 एवं 379 क्रमांक: रकबा 0.020, 0.004, 0.081, 0.012 एवं 0.020 है, कुल एतद् 05 कुल रकबा 0.137 है, गृहि जिससे श्री आदर्श तिवाड़ी आ.श्री अशोक तिवाड़ी का नाम दर्ज है। उक्त गृहि का पिछला मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो सुदेश कुमार अग्रवाल के नाम पर वर्ष 2008 को निष्पादित हुआ था। उक्त मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को विक्रेता श्रीमती निशा पोपटानी प्रति श्री हीराल पोपटानी के द्वारा दिनांक 27.08.2019 को मेरे पक्षकार को सौंप दिये थे, परंतु उक्त पूर्व निष्पादित मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मेरे पक्षकार से दिनांक 16.07.2026 को मेरे पक्षकार अपने निवास स्थान गोधनपुर से कलेक्टर कार्यालय की ओर ली गई थी। उक्त गृहि का पिछला मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो मेरे पक्षकार के नाम पर वर्ष 2008 को निष्पादित हुआ था। उक्त मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को विक्रेता श्रीमती निशा पोपटानी प्रति श्री हीराल पोपटानी के द्वारा दिनांक 27.08.2019 को मेरे पक्षकार को सौंप दिये थे, परंतु उक्त पूर्व निष्पादित मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मेरे पक्षकार से दिनांक 16.07.2026 को मेरे पक्षकार अपने निवास स्थान गोधनपुर से कलेक्टर कार्यालय की ओर ली गई थी। उक्त गृहि का पिछला मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो मेरे पक्षकार के नाम पर वर्ष 2008 को निष्पादित हुआ था। उक्त मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को विक्रेता श्रीमती निशा पोपटानी प्रति श्री हीराल पोपटानी के द्वारा दिनांक 27.08.2019 को मेरे पक्षकार को सौंप दिये थे, परंतु उक्त पूर्व निष्पादित मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मेरे पक्षकार से दिनांक 16.07.2026 को मेरे पक्षकार अपने निवास स्थान गोधनपुर से कलेक्टर कार्यालय की ओर ली गई थी। उक्त गृहि का पिछला मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो मेरे पक्षकार के नाम पर वर्ष 2008 को निष्पादित हुआ था। उक्त मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को विक्रेता श्रीमती निशा पोपटानी प्रति श्री हीराल पोपटानी के द्वारा दिनांक 27.08.2019 को मेरे पक्षकार को सौंप दिये थे, परंतु उक्त पूर्व निष्पादित मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मेरे पक्षकार से दिनांक 16.07.2026 को मेरे पक्षकार अपने निवास स्थान गोधनपुर से कलेक्टर कार्यालय की ओर ली गई थी। उक्त गृहि का पिछला मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो मेरे पक्षकार के नाम पर वर्ष 2008 को निष्पादित हुआ था। उक्त मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को विक्रेता श्रीमती निशा पोपटानी प्रति श्री हीराल पोपटानी के द्वारा दिनांक 27.08.2019 को मेरे पक्षकार को सौंप दिये थे, परंतु उक्त पूर्व निष्पादित मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मेरे पक्षकार से दिनांक 16.07.2026 को मेरे पक्षकार अपने निवास स्थान गोधनपुर से कलेक्टर कार्यालय की ओर ली गई थी। उक्त गृहि का पिछला मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो मेरे पक्षकार के नाम पर वर्ष 2008 को निष्पादित हुआ था। उक्त मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को विक्रेता श्रीमती निशा पोपटानी प्रति श्री हीराल पोपटानी के द्वारा दिनांक 27.08.2019 को मेरे पक्षकार को सौंप दिये थे, परंतु उक्त पूर्व निष्पादित मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मेरे पक्षकार से दिनांक 16.07.2026 को मेरे पक्षकार अपने निवास स्थान गोधनपुर से कलेक्टर कार्यालय की ओर ली गई थी। उक्त गृहि का पिछला मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो मेरे पक्षकार के नाम पर वर्ष 2008 को निष्पादित हुआ था। उक्त मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को विक्रेता श्रीमती निशा पोपटानी प्रति श्री हीराल पोपटानी के द्वारा दिनांक 27.08.2019 को मेरे पक्षकार को सौंप दिये थे, परंतु उक्त पूर्व निष्पादित मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मेरे पक्षकार से दिनांक 16.07.2026 को मेरे पक्षकार अपने निवास स्थान गोधनपुर से कलेक्टर कार्यालय की ओर ली गई थी। उक्त गृहि का पिछला मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो मेरे पक्षकार के नाम पर वर्ष 2008 को निष्पादित हुआ था। उक्त मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को विक्रेता श्रीमती निशा पोपटानी प्रति श्री हीराल पोपटानी के द्वारा दिनांक 27.08.2019 को मेरे पक्षकार को सौंप दिये थे, परंतु उक्त पूर्व निष्पादित मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मेरे पक्षकार से दिनांक 16.07.2026 को मेरे पक्षकार अपने निवास स्थान गोधनपुर से कलेक्टर कार्यालय की ओर ली गई थी। उक्त गृहि का पिछला मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो मेरे पक्षकार के नाम पर वर्ष 2008 को निष्पादित हुआ था। उक्त मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को विक्रेता श्रीमती निशा पोपटानी प्रति श्री हीराल पोपटानी के द्वारा दिनांक 27.08.2019 को मेरे पक्षकार को सौंप दिये थे, परंतु उक्त पूर्व निष्पादित मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मेरे पक्षकार से दिनांक 16.07.2026 को मेरे पक्षकार अपने निवास स्थान गोधनपुर से कलेक्टर कार्यालय की ओर ली गई थी। उक्त गृहि का पिछला मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो मेरे पक्षकार के नाम पर वर्ष 2008 को निष्पादित हुआ था। उक्त मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को विक्रेता श्रीमती निशा पोपटानी प्रति श्री हीराल पोपटानी के द्वारा दिनांक 27.08.2019 को मेरे पक्षकार को सौंप दिये थे, परंतु उक्त पूर्व निष्पादित मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मेरे पक्षकार से दिनांक 16.07.2026 को मेरे पक्षकार अपने निवास स्थान गोधनपुर से कलेक्टर कार्यालय की ओर ली गई थी। उक्त गृहि का पिछला मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो मेरे पक्षकार के नाम पर वर्ष 2008 को निष्पादित हुआ था। उक्त मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को विक्रेता श्रीमती निशा पोपटानी प्रति श्री हीराल पोपटानी के द्वारा दिनांक 27.08.2019 को मेरे पक्षकार को सौंप दिये थे, परंतु उक्त पूर्व निष्पादित मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मेरे पक्षकार से दिनांक 16.07.2026 को मेरे पक्षकार अपने निवास स्थान गोधनपुर से कलेक्टर कार्यालय की ओर ली गई थी। उक्त गृहि का पिछला मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो मेरे पक्षकार के नाम पर वर्ष 2008 को निष्पादित हुआ था। उक्त मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को विक्रेता श्रीमती निशा पोपटानी प्रति श्री हीराल पोपटानी के द्वारा दिनांक 27.08.2019 को मेरे पक्षकार को सौंप दिये थे, परंतु उक्त पूर्व निष्पादित मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मेरे पक्षकार से दिनांक 16.07.2026 को मेरे पक्षकार अपने निवास स्थान गोधनपुर से कलेक्टर कार्यालय की ओर ली गई थी। उक्त गृहि का पिछला मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो मेरे पक्षकार के नाम पर वर्ष 2008 को निष्पादित हुआ था। उक्त मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को विक्रेता श्रीमती निशा पोपटानी प्रति श्री हीराल पोपटानी के द्वारा दिनांक 27.08.2019 को मेरे पक्षकार को सौंप दिये थे, परंतु उक्त पूर्व निष्पादित मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मेरे पक्षकार से दिनांक 16.07.2026 को मेरे पक्षकार अपने निवास स्थान गोधनपुर से कलेक्टर कार्यालय की ओर ली गई थी। उक्त गृहि का पिछला मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो मेरे पक्षकार के नाम पर वर्ष 2008 को निष्पादित हुआ था। उक्त मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को विक्रेता श्रीमती निशा पोपटानी प्रति श्री हीराल पोपटानी के द्वारा दिनांक 27.08.2019 को मेरे पक्षकार को सौंप दिये थे, परंतु उक्त पूर्व निष्पादित मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मेरे पक्षकार से दिनांक 16.07.2026 को मेरे पक्षकार अपने निवास स्थान गोधनपुर से कलेक्टर कार्यालय की ओर ली गई थी। उक्त गृहि का पिछला मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो मेरे पक्षकार के नाम पर वर्ष 2008 को निष्पादित हुआ था। उक्त मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को विक्रेता श्रीमती निशा पोपटानी प्रति श्री हीराल पोपटानी के द्वारा दिनांक 27.08.2019 को मेरे पक्षकार को सौंप दिये थे, परंतु उक्त पूर्व निष्पादित मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मेरे पक्षकार से दिनांक 16.07.2026 को मेरे पक्षकार अपने निवास स्थान गोधनपुर से कलेक्टर कार्यालय की ओर ली गई थी। उक्त गृहि का पिछला मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो मेरे पक्षकार के नाम पर वर्ष 2008 को निष्पादित हुआ था। उक्त मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को विक्रेता श्रीमती निशा पोपटानी प्रति श्री हीराल पोपटानी के द्वारा दिनांक 27.08.2019 को मेरे पक्षकार को सौंप दिये थे, परंतु उक्त पूर्व निष्पादित मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मेरे पक्षकार से दिनांक 16.07.2026 को मेरे पक्षकार अपने निवास स्थान गोधनपुर से कलेक्टर कार्यालय की ओर ली गई थी। उक्त गृहि का पिछला मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो मेरे पक्षकार के नाम पर वर्ष 2008 को निष्पादित हुआ था। उक्त मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को विक्रेता श्रीमती निशा पोपटानी प्रति श्री हीराल पोपटानी के द्वारा दिनांक 27.08.2019 को मेरे पक्षकार को सौंप दिये थे, परंतु उक्त पूर्व निष्पादित मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मेरे पक्षकार से दिनांक 16.07.2026 को मेरे पक्षकार अपने निवास स्थान गोधनपुर से कलेक्टर कार्यालय की ओर ली गई थी। उक्त गृहि का पिछला मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो मेरे पक्षकार के नाम पर वर्ष

खबर संक्षेप

मृत सदस्या के नाम पर फर्जी अंगुठा लगाने का आरोप, स्वयं सहायता समूह की जांच की मांग

रामानुजगंज। ग्राम पंचायत पिपरोल में संचालित यादव महिला स्वयं सहायता समूह की कार्यप्रणाली को लेकर समूह के कुछ सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत में समूह की अध्यक्ष और सचिव के पतियों द्वारा कथित रूप से समूह के संचालन में अवैध हस्तक्षेप करने, सदस्यों को जानकारी नहीं देने तथा मृत सदस्य के नाम का कथित रूप से दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार पिपरोल में वर्ष 2007 से यादव महिला स्वयं सहायता समूह का संचालन किया जा रहा है। समूह के माध्यम से शासकीय उचित मूल्य दुकान तथा मध्याह्न भोजन योजना का संचालन किए जाने की जानकारी देते हुए आरोप लगाया गया है कि समूह की अध्यक्ष पानपति के पति रामशरण यादव तथा सचिव आशा देवी के पति अनिल यादव कथित रूप से समूह के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। शिकायत में आरोप समूह की पंजीकृत सदस्य तैरसी यादव के नाम के कथित दुरुपयोग को लेकर लगाया गया है। आवेदन के मुताबिक तेतरी यादव, पति जटा यादव, का निधन 24 नवंबर 2024 को हो चुका है। उनका मृत्यु पंजीकरण 1 मार्च 2025 को हुआ।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उनका नाम समूह के रिकॉर्ड से नहीं हटाया गया और उनके नाम पर कथित रूप से फर्जी अंगुठा लगाकर शासकीय गतिविधियों एवं राशे के आहरण में उपयोग किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि समूह के अन्य सदस्यों को समूह के बैंक खाते, आय-व्यय, राशन दुकान तथा मध्याह्न भोजन संचालन से संबंधित पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती। साथ ही समूह की नियमित बैठकें भी कथित रूप से आयोजित नहीं की जाती और दस्तावेजों में बैठक एवं कार्रवाई दशकों से संचालन किए जाने का आरोप लगाया गया है। आवेदन में कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, मृत सदस्यों के नाम के कथित दुरुपयोग की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई करने तथा राशन दुकान एवं मध्याह्न भोजन का प्रभार नियमानुसार हटाने की मांग की गई है।

एसईसीएल क्वार्टर में चोरी समेत दो घटनाओं का हुआ खुलासा

बिश्रामपुर। थाना क्षेत्र में करीब पखवाड़े भर पूर्व हुई दो चोरी की वारदात में शामिल तीन लोगों को पुलिस ने पकड़कर उनसे चोरी किये सामान की बरामदगी की है।पकड़े गए दो आरोपी विधि से संघर्षरत दो अपचारी बालक हैं।बताया गया कि मंगतराम चौक निवासी कॉलरी कर्मी लिपिक संतोष साहू के सुर्त घर में गत 2 सितम्बर को चोरों ने मुख्य दरवाजे की कुंडी उखाड़ कर भीतर रखे 50 हजार नगद समेत सोने चांदी का आभूषण, कुल चार लाख से अधिक रुपये की चोरी कर ली थी, इसी प्रकार ग्राम केशवनगर में विद्युत समानों के कारोबारी के प्रतिष्ठान में रखे एक लाख रुपये से अधिक का विद्युत वायर चुरा लिया था,पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों की धरपकड़ में जुटी थी,इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के दो अपचारी बालकों के गतिविधियों पर स्थानीय लोगों को शंका होने पर पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने वर दोनो अपचारी बालकों को पकड़कर पूछताछ की, तब दोनो ने अपराध का खुलासा किया,पुलिस ने दोनो के कब्जे से चोरी का कुछ सामान और नगदी रकम बरामद किया है,वहीं केशवनगर में विद्युत सामानों के कारोबारी के घर हुई चोरी मामले में भी एक आरोपी को पकड़कर पूछताछ किये जाने की खबर है।

मछली नाले में मिली महिला की लाश, पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शुरु की जांच

धौरपुर। लुण्ड्रा के ग्राम नवडीहा स्थित मछली नाले में एक महिला की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। नाले में लाश मिलने की सूचना पर पुलिस तथा फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरु कर दी। जांच के दौरान मृत्तिका की पश्चात 20 वर्षीय रजनी दास आहीरा दास निवासी ग्राम अगासी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि करीब चार महीने पहले ही रजनी की शादी बरकोली में हुई थी। कुछ दिन पहले वह अपने मायके गई थी और वहां कुछ दिन रुकने के बाद वापस अपने ससुराल जा रही थी। इसी दौरान मछली नाले में गिरने से उसकी मौत होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, महिला की मौत किये परिस्थितियों में हुई इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मृत्तिका के शरीर पर ऐसे स्पष्ट चोट के निशान नहीं मिले हैं, जिनके आधार पर हत्या की आशंका की पुष्टि की जा सके। हालांकि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम और पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम करने के पश्चात जांच शुरु कर दी है।

निधन

अवध किशोर सिंह

अम्बिकापुर। शहर के केदारपुर निवासी एवं ग्रामीण बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी अवध किशोर सिंह का 67 वर्ष की आयु में शुक्रवार की तड़के रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में उपचार के दौरान निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे।

स्वर्गीय सिंह अपने पीछे एक पुत्र, एक पुत्री, पत्नी सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनका अंतिम संस्कार शनिवार की सुबह शंकर घाट स्थित मुक्तिधाम में किया जाएगा।।

रामानुजनगर में कैम्पा मद से 2022-23 में स्वीकृत हुए थे 2 करोड़ की राशि

वन परिक्षेत्र जंगल में पुटुस झाड़ियों के सफाई के नाम पर खानापूति

हरिभूमि न्यूज ►► रामानुजनगर

जिले जंगलों में न सिर्फ विभिन्न प्रजाति के पेड़ पेड़ो है बल्कि जंगल जड़ी बूटी से भरे हुए है। इन पेड़ों में कई ऐसे पेड़ है जो ग्रामीणों को आजीविका के खेत है। ऐसे में जंगल में पेड़ पौधे के अच्छे ग्रोथ हो इसके लिए शासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करती है। हेरानी की बात तो यह है कि रामानुजनगर वन परिक्षेत्र के जंगल से झाड़ियों की साफ सफाई के लिए दो करोड़ स्वीकृत हुए लेकिन विभाग द्वारा झाड़ियों के साफ सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूति कर छोड़ दिया जिससे क्षेत्र के जंगल में पुटुस झाड़ी चादर की तरह फैली हुई है। ऐसे में जंगल में रोपे गए कीमती पौधे पर भी असर पड़ने लगा है।

जिले के रामानुजनगर वन परिक्षेत्र के विभिन्न वन खंडों में पुटुस अत्यधिक मात्रा में फैला होने का हवाला देकर वन विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 में कैम्पा मद से 2 करोड़ से ज्यादा राशि की स्वीकृति दी गई थी। लेकिन रामानुजनगर और प्रेमनगर के कुछ ही कंपार्टमेंट में नाममात्र की सफाई की गई है। जबकि वन परिक्षेत्र में पुटुस झाड़ियों के फैली हुई है। इधर मामला जनप्रतिनिधियों और लोगों के संज्ञान में आने के बाद चर्चा का विषय बन गया है। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने घटना की शिकायत की। शिकायत के बाद सूरजपुर के पूर्व जिला पंचायत द्वारा जांच दल भी गठित किया गया था, लेकिन आज तक जांच पूरी नहीं हो सकी है जो समझ से परे है।

है। कहीं-कहीं तो सिर्फ 50 से 100 मीटर की परिधि को ही साफ कर खानापूति कर दी गई,



पुटुस झाड़ियों से अटा जंगल ।

शिकायत के बाद गठित की गई थी जांच टीम

जंगल से पुटुस झाड़ियों की सफाई के लिए वन विभाग द्वारा साल 2022-23 में कैम्पा मद से 2 करोड़ से ज्यादा राशि की स्वीकृति दी गई थी। लेकिन रामानुजनगर और प्रेमनगर के कुछ ही कंपार्टमेंट में नाममात्र की सफाई की गई है। जबकि वन परिक्षेत्र में पुटुस झाड़ियों के फैली हुई है। इधर मामला जनप्रतिनिधियों और लोगों के संज्ञान में आने के बाद चर्चा का विषय बन गया है। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने घटना की शिकायत की। शिकायत के बाद सूरजपुर के पूर्व जिला पंचायत द्वारा जांच दल भी गठित किया गया था, लेकिन आज तक जांच पूरी नहीं हो सकी है जो समझ से परे है।

है। कहीं-कहीं तो सिर्फ 50 से 100 मीटर की परिधि को ही साफ कर खानापूति कर दी गई,

जबकि यह झाड़ी पूरे वन क्षेत्र में फैली हुई है। शासन ने पुटुस सफाई की स्वीकृति इसलिए

फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आईजी को सौंपा ज्ञापन

हरिभूमि न्यूज ►► सीतापुर

काशी विश्वनाथ ज्वेलर्स के संचालक के साथ हुई एक करोड़ के ज्वेलर्स की उठाईगिरी मामले में फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पीड़ित पक्ष ने सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष सुशील सिंह मंडावी के नेतृत्व में आईजी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी एवं सोने चांदी के बाकी गहनों को दिलाने की मांग की है।

विदित हो कि विगत 26 जुलाई को काशी विश्वनाथ ज्वेलर्स के संचालक अरुण सोनी के साथ एक करोड़ के ज्वेलरी की उठाईगिरी हो गई थी। पहले से घात लगाए बैठे उठाईगीरों ने अरुण सोनी के स्कूटी में टेंगा हुआ ज्वेलरी से भरा बैग ले भागे थे। इस घटना के बाद शहर में हड़कें मच गयीं था और व्यापारी संघ एवं सर्राफा व्यापारी संघ ने



मिलकर नगरबंद चक्काजाम धरना प्रदर्शन करते हुए जयकर विरोध प्रदर्शन किया था। सर्व समाज ने भी नगरबंद एवं चक्काजाम को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए पुलिस की नींद उड़ा दी थी। आखिरकार सर्व समाज की चेतावनी के दो दिन बाद उड़ीसा में फरार चल रहे अपराधी चढ़ गया। उड़ीसा से आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद सीतापुर पुलिस उसके पास से बरामद ज्वेलरी के साथ आरोपी को लेकर थाने पहुँची। थाने में पूछताछ के दौरान आरोपी

ने इस घटना में दो अन्य साथियों की संलिप्तता स्वीकारी। जिसके बाद पुलिस ने उठाईगिरी मामले में गिरफ्तार आरोपी युवक को जेल भेज दिया। इस बात को गुजरे 15 दिन से ज्यादा हो गए लेकिन पुलिस फरार चल रहे दोनों आरोपियों को आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस संबंध में पीड़ित पक्ष का रास्ता अस्वित्यार करना पड़ेगा जिसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान अजय अग्रवाल, ब्रह्मदेव सोनी, नीरज सोनी, अरुण सोनी एवं अन्य मौजूद थे।

नशीला इंजेक्शन बेचने वाले को 12

साल कैद, एक लाख का जुर्माना

अम्बिकापुर। विशेष न्यायाधीश नार्कोटिक्स अतुल कुमार श्रीवास्तव ने अपने जजमेंट में दर्रापारा निवासी सूरज यादव आ. गोपाल यादव को नशीला इंजेक्शन धारण करने के जुर्म में 12 वर्ष की सश्रम कारावास तथा 1 लाख रूपए जुर्माना का दंड सुनाया है.. जुर्माना नहीं पटाने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा होगी।

गौरतलब है कि 29 सितंबर 2025 की रात सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दर्रापारा निवासी सूरज यादव बाइक क्रमांक सीजी 15 सीएच 0906 से हरां टिकरा पुलिसा मैडिकल कॉलेज के पास भारी मात्रा में इंजेक्शन का सप्लाई करने जा रहा है। सूचना पर उड़नदस्ता टीम ने हरां टिकरा पुलिसा के समीप घेराबंदी कर सूरज यादव को पकड़ा। टीम ने उसके



पास रखे बैग की तलाशी लेने पर 178 नन नशीला इंजेक्शन बरामद कर उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 सी के तहत अपराध दर्ज कर 30 सितंबर 2025 को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया था। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के मामले में जमानत का लाभ मिलना भी मुश्किल है और सजा मिलना भी लगभग तय है। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति को सजा मिलने पर खुशी नहीं होती क्योंकि उसका अपना परिवार होता है परंतु ऐसे नशे के सौदागरों को जो हजारों लोगों को मौत का सामान बेच रहे हैं न्यायालय की इस सजा से डर बनेगा और एक सीख मिलेगी कि गलत काम का अंजाम गलत ही होता है।

अटल परिसर में कचरा डंपिंग से वार्ड का माहौल हुआ दूषित

हरिभूमि न्यूज ►► सीतापुर

नगर के वार्ड क्रमांक 10 में मौजूद अटल परिसर समेत होलिका दहन मैदान में कचरा डंप करने से वार्ड का माहौल काफी दूषित हो गया है। इस संबंध में वार्ड पार्षद नीरू मिश्री

ने नगर पंचायत में ज्ञापन सौंप नाराजगी जताई है। उन्होंने कचरा एवं गंदगी की वजह से वार्डवासियों को हो रही परेशानी को देखते हुए वार्ड में कचरा डंप करने पर रोक लगाने की मांग की है ताकि वार्ड का माहौल दूषित होने से बचाया जा सके। विदित हो कि नगर पंचायत के महाभाया वार्ड क्रमांक 10 में मौजूद अटल परिसर छठ घाट एवं होलिका दहन मैदान में पूरे नगर का कचरा लाकर डंप किया जा रहा है। जिसकी वजह से अटल परिसर छठ घाट एवं होलिका दहन मैदान कचरा डंपिंग ग्राउंड बन गया है और वहां कचरे का अंबार लग गया है। इस संबंध में वार्ड पार्षद नीरू मिश्री ने पूर्व में अटल परिसर समेत छठ घाट एवं होलिका दहन मैदान में कचरा डंप करने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कचरे की वजह से वार्ड में होने वाला प्रदूषण एवं गंदगी का हवाला देते हुए चिन्हांकित जगहों पर कचरा डंप करने पर



रोक लगाने की मांग की थी ताकि वार्ड का माहौल दूषित होने से बचाया जा सके लेकिन नगर पंचायत ने जगह का आभाव बताते हुए उन जगहों पर कचरा डंप करना जारी रखा। सालों से कचरा डंप होने वजह से अटल परिसर छठ घाट समेत होलिका दहन मैदान में कचरे का अंबार लग गया। जिसकी वजह से वार्ड का माहौल काफी दूषित हो चला है और वार्डवासियों का जीना दूभर कर दिया है। पूर्व में मना करने के बाद भी वार्ड में कचरा डंप जारी रखना एवं कचरे की वजह से वार्ड के लोगों को हो रही परेशानियों को देखते वार्ड पार्षद ने नाराजगी जताते हुए इस पर रोक लगाने हेतु सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में अटल परिसर होलिका दहन मैदान समेत छठ घाट में होने वाले

सरगुजा/बलरामपुर हरिभूमि 3



अंतर क्षेत्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ

हरिभूमि न्यूज ►► अम्बिकापुर

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की अंतर क्षेत्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता सेंट जेवियर स्कूल ग्राउंड में भव्य शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में प्रदेशभर से विद्युत विभाग की 10 क्षेत्रीय टीमों हिस्सा ले रही हैं।

प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि मुख्य अभियंता यशवंत शिलेदार द्वारा सद्भावना ध्वजारोहण, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रचलित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आवेदन कुजूर ने की। इस अवसर पर अतिथियों के रूप में फादर आइजेक कुजूर, प्राचार्य कल्यानुस मिंज, प्राचार्य सिरिल मिंज एवं फादर माइकेल तिकी वहीं राजेश लकड़ा एवं डीके सोनी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम विभाग के आरपी मिश्रा, आर नागवंशी, जेपी राजवाड़े, राजेश जायसवाल, महेंद्र नेताम, कुंदन कुमार, अक्षय कुमार, अभिनेष बंजारे, सुरजीत गुप्ता, अमित टोपो,

लोकेश नामदेव, कैलाश देवांगन, जेपी पटेल, विनोद शुक्ला, सुभाष सरकार, एमएच अंसारी, संगम पटेल, स्नेहा टोपो, विराजमान एक्का, यतीन्द्र गुप्ता, एचएल. पटेल सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। पहले दिन रोमांचक मुकाबले कोरबा पश्चिम ने मड़वा को 3-0 से, जगदलपुर ने अम्बिकापुर को 2-1 से, बिलासपुर ने रायपुर क्षेत्र की 1-0 से, कोरबा पूर्व ने राजनांदगांव को 2-1 से, मड़वा ने रायपुर सेंट्रल को 1-0 से, जगदलपुर ने दुर्ग को 3-0 से, कोरबा पश्चिम ने रायपुर क्षेत्र को 2-0 से व अम्बिकापुर ने कोरबा पूर्व को 4-0 से पराजित किया। पहले दिन हुए मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार खेल भावना और उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिचय दिया। मैदान पर खिलाड़ियों के बीच कड़ा और रोमांचक संघर्ष देखने को मिला। प्रतियोगिता के दूसरे दिन 10 चम खेले जाएंगे। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल एवं फाइनल मुकाबले 12 सितम्बर को सुबह 10 बजे से सेंट जेवियर स्कूल फुटबॉल मैदान में खेले जाएंगे।

श्रमिक कार्ड है मजदूर का असली सहारा, पंजीयन जीवित रखना जरूरी

हरिभूमि न्यूज ►► अम्बिकापुर

विकासखंड अंबिकापुर के ग्राम पंचायत सपना के पंचायत भवन में शुक्रवार को श्रमिक पंजीयन एवं

नवीनीकरण शिविर का आ यो ज न किया गया। शिविर में बड़ी संख्या ग्र 1 मी ण महिला-पुरुष

मजदूर पंजीयन कराने और पुराने कार्ड का नवीनीकरण कराने पहुंचे। इस अवसर पर जिप सदस्य पावल सिंह तामर व राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तामर ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और ग्रामोीणों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक श्रमिक के लिए सबसे जरूरी है



उसका पंजीयन और पंजीयन का जीवित रहना। उन्होंने ग्रामीणों से समझाया कि श्रमिक कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि मजदूर परिवार के लिए सुरक्षा कवच है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। इसी कार्ड के जरिए शासन के कई जनहितकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। श्रमिक पंजीयन से मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी। प्रसूति सहायता, मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता सहित कई

योजनाओं से संबंधित मिलने वाले लाभ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कई बार ग्रामीण पंजीयन तो करा लेते हैं, पर समय पर नवीनीकरण नहीं कराते, जिससे पंजीयन मृत हो जाता है और योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। इस दौरान पंचायत भवन में अविनाश कुशवाहा, दिगम्बर यादव, श्रीधर केशरी, प्रिंस चौबे, मटुक दास मंहथ, आगर साय राजवाड़े, मुन्ना सिंह, गौतम कुशवाहा, जनपद सदस्य, सरपंच, सचिव सहित अन्य मौजूद रहे।

नाबालिगों के हाथों में वाहन देने वालों पर पुलिस की सख्ती

सूरजपुर। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार

पटेल द्वारा दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के परिपालन में यातायात व थानों की पुलिस द्वारा जिले में लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 4 नाबालिग को बाइक चलाते हुए पकड़ा। पुलिस द्वारा मौके पर नाबालिग के परिजन को सूचना देकर बुलाया तथा उन्हें नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देने से होने वाले गंभीर परिणामों एवं कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया गया। चेकिंग के दौरान नाबालिगों द्वारा चलाए जा रहे वाहनों के स्वामियों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। संबंधित वाहनों में वाहन क्रमांक सीजी 29 एच 5054, सीजी 16 सी यू 4636, सीजी 29 एडी 3382 एवं सीजी 29 एएच 5698 शामिल



हैं। पुलिस द्वारा वाहन स्वामियों के विरुद्ध इस्तगसा तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नाबालिग को बाइक सहित अन्य वाहन चलाने के लिए देना न केवल उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि वाहन स्वामी अथवा अभिभावक को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने

पकड़े जाने पर संबंधित वाहन स्वामी/अभिभावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है तथा 25 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान है। यातायात प्रभारी बृजकिशोर पाण्डेय ने बताया कि कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति देने से सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। नाबालिग वाहन चालक यातायात नियमों एवं सड़क पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का सही आकलन करने में सक्षम नहीं होने के कारण स्वयं के साथ-साथ अन्य राहगीरों एवं वाहन चालकों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। ऐसे में अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को निर्धारित आयु पूर्ण होने तथा वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही वाहन चलाने की अनुमति दें।

भारतीय किसान संघ की हुई जिला स्तरीय बैठक, विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा

बलरामपुर। भारतीय किसान संघ के जिला स्तरीय बैठक जिला अध्यक्ष राम नरेश कुशवाहा के अध्यक्षता में जिला कार्यालय में संपन्न हुआ। जिला स्तरीय बैठक में किसान हित के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही भारतीय किसान संघ के जिला स्तर पर सभी तहसीलों में कार्यकारिणी का गठन करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामनरेश कुशवाहा ने कहा कि 12 सितंबर को जिले के डवरा तहसील में भारतीय किसान संघ के कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा जिसमें जिला स्तर के पदाधिकारी



उपस्थित रहे। इसके अलावा इसी माह में भारतीय किसान संघ के अग्रसार वर्ग कराने का संघ द्वारा निर्णय लिया गया है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि किसान घर समाज गांव जिला राज्य नहीं बल्कि पूरे देश की रीढ़ है। हर पद्धतिकारी अपने आप को उच्च पदाधिकारी समझते हुए छोटे से छोटे किसान भाइयों के समस्या को हिलान करने में योगदान जरूर दें। जल किसान विकसित होगा तभी देश विकसित होगा। उन्होंने कहा कि संगठन का जिला स्तर पर किस तरह विस्तार हो इस विषय पर प्रति माह होने वाले बैठक पर अपना विचार आवश्यक रूप से रखें। बैठक में किसान संघ के विभिन्न समस्याओं और समस्याओं के निराकरण पर भी चर्चा किया। इस दौरान भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष रामनरेश कुशवाहा, जिला महामंत्री विपिन सिंह, किसान संघ सरकारी समिति अध्यक्ष विनोद गुप्ता, लतन कुशवाहा, गौतम सिंह, संजय कुशवाहा, जमुना गुप्ता के अलावा बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

हठिभूमि कार्यालय : गौरव पथ, रिंग रोड नं. - 2, बिलासपुर (छ.ग.)
फोन : 07752-401052, मो. 7000789160